न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 65 / 2019

1 संतोष देवी पत्नी मोतीराम।
2 मूली देवी पत्नी मूलचन्द।
3 सुनील पुत्र मूलचन्द।
4 जितेन्द्र पुत्र मूलचन्द समस्त जाति बलाई निवासीगण छापर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 हनुमान पुत्र रामसहाय।
2 कालूराम पुत्र भागू।
3 सुमन पुत्री भागू।
4 सुशीला पुत्री भागू।
5 ममता पुत्री भागू।
6 नीलम पुत्री भागू।
7 प्रेमचन्द वर्मा पुत्र अर्जुनराम।
8 जगदीश पुत्र प्रभात।
9 छापूराम पुत्र नारायण।
10 सुरेश पुत्र नारायण।
11 कोयली पुत्री नारायण।
12 शांति पुत्री नारायण।
13 सपना पुत्री नारायण।
14 भगवान सहाय पुत्र प्रभात।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

15 मदन पुत्र मूला।
16 मोतीराम पुत्र मूला।
17 ओमप्रकाश पुत्र नारायण।
18 कन्हैयालाल पुत्र नारायण।
19 कालूराम पुत्र नारायण।
20 कमली पत्नी जगदीश।
21 कौशल्या पुत्री जगदीश।
22 विनोद पुत्र जगदीश।
23 राजेन्द्र पुत्र जगदीश।
24 राकेश पुत्र जगदीश।
25 रवी पुत्र जगदीश।
26 छोटी पुत्री जगदीश।
27 ललीता पुत्री जगदीश।
28 सीमा पुत्री जगदीश।
29 सजना पत्नी द्वारका प्रसाद।
30 संज्या पुत्री द्वारका प्रसाद।
31 मनीष पुत्र द्वारका प्रसाद।
32 अशोक पुत्र द्वारका प्रसाद।
33 आशा पुत्री द्वारका प्रसाद।
34 सुनील पुत्र द्वारका प्रसाद।
35 कैलाशचन्द पुत्र नारायण।
36 पेपचन्द पुत्र रामदेव।
37 प्रकाश पुत्र रामदेव।
38 मोहनलाल पुत्र रामदेव।
39 दीपचन्द पुत्र मालाराम।
40 गोपाल पुत्र मालाराम।
41 लक्ष्मण पुत्र मालाराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन सजस्व अपील अधिकारी
सीकर

42 बद्रीप्रसाद पुत्र भूरा समस्त जाति बलाई निवासीगण छापर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

43 नापी देवी पुत्री भूरा पत्नी सोहनलाल जाति बलाई हाल निवासी लाबिया तन चिपलाटा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर हाल तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

44 रामोतार पुत्र प्रभात।

45 रूकमा देवी पत्नी दीपचन्द समस्त जाति बलाई निवासीगण छापर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

46 अनिता देवी पुत्री दीपचन्द पत्नी बीरबल।

47 सुनिता देवी पुत्री दीपचन्द पत्नी हेमराज।

48 पूमा देवी पुत्री दीपचन्द पत्नी लालचन्द समस्त जाति बलाई हाल बुजा की ढ़ाणी तन खिरोटी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

49 आकाश कुमार पुत्र दीपचन्द।

50 गौरीशंकर पुत्र छोटू।

51 मन्नी देवी पत्नी सागरमल उर्फ नागरमल समस्त जाति बलाई निवासीगण छापर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

52 मीना देवी पुत्री सागरमल उर्फ नागरमल पत्नी सुल्तानाराम जाति बलाई निवासी कोटड़ी तहसील खण्डेला जिला सीकर।

53 अन्नू वर्मा पुत्री सागरमल उर्फ नागरमल।

54 रमेश पुत्र सागरमल उर्फ नागरमल।

55 सपना वर्मा पुत्री सागमल उर्फ नागरमल।

56 मनीष कुमार पुत्र सागरमल उर्फ नागरमल नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता मन्नी देवी।

57 बनवारीलाल पुत्र छोटू।

58 धोकल उर्फ दौलत पुत्र सोना फौत।

58/1 गोठी देवी पत्नी धोकल उर्फ दौलत।

58/2 मेवा देवी पुत्री धोकल उर्फ दौलत।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन सजरव अपील अधिकारी
सीकर

58/3 सरिता देवी पुत्री धोकल उर्फ दौलत समस्त जाति बलाई निवासीगण छापर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

59 श्रवणी देवी पुत्री गिरधारी पत्नी सीताराम जाति बलाई निवासी आगड़ी तन गणेश्वर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

60 भगवान सहाय पुत्र नाथुराम जाति बलाई।

61 बाबूलाल पुत्र बिड़दूराम निवासीगण छापर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

62 सब रजिस्टार नीमकाथाना जिला सीकर।

63 भूमिधारक जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।

64 चिरंजीलाल पुत्र प्रभात।

65 तीजा पुत्री सुल्तान।

66 श्रवणी पुत्री सुल्तान।

67 सन्ती पुत्री सुल्तान।

68 मूली पुत्री सुल्तान।

69 बाबूलाल पुत्र सुल्तान।

70 मोहनलाल पुत्र सुल्तान।

71 सायरमल पुत्र अर्जुन।

72 शीला देवी पत्नी अर्जुनराम।

73 ग्यारसी देवी पुत्री अर्जुनराम।

74 आंची देवी पुत्री अर्जुनराम।

75 कौशल्या देवी पुत्री अर्जुनराम।

76 विमला पुत्री अर्जुनराम समस्त जाति बलाई निवासीगण छापर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन सजरव अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट विरूद्व अंतिक डिक्री दिनांक 22.06.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर दावा संख्या 123/2015 बउनवानी हनुमान आदि बनाम मूला आदि वाद पत्र बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

अपील संख्या 66/2019

1 संतोष देवी पत्नी मोतीराम।
2 मूली देवी पत्नी मूलचन्द।
3 सुनील पुत्र मूलचन्द।
4 जितेन्द्र पुत्र मूलचन्द समस्त जाति बलाई निवासीगण छापर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * सत्यमेव जयते

1 हनुमान पुत्र रामसहाय।
2 कालूराम पुत्र भागू।
3 सुमन पुत्री भागू।
4 सुशीला पुत्री भागू।
5 ममता पुत्री भागू।
6 नीलम पुत्री भागू।
7 प्रेमचन्द वर्मा पुत्र अर्जुनराम।
8 जगदीश पुत्र प्रभात।
9 छापूराम पुत्र नारायण।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

10 सुरेश पुत्र नारायण।
11 कोयली पुत्री नारायण।
12 शांति पुत्री नारायण।
13 सपना पुत्री नारायण।
14 भगवान सहाय पुत्र प्रभात।
15 मदन पुत्र मूला।
16 मोतीराम पुत्र मूला।
17 ओमप्रकाश पुत्र नारायण।
18 कन्हैयालाल पुत्र नारायण।
19 कालूराम पुत्र नारायण।
20 कमली पत्नी जगदीश।
21 कौशल्या पुत्री जगदीश।
22 विनोद पुत्र जगदीश।
23 राजेन्द्र पुत्र जगदीश।
24 राकेश पुत्र जगदीश।
25 रवी पुत्र जगदीश।
26 छोटी पुत्री जगदीश।
27 ललीता पुत्री जगदीश।
28 सीमा पुत्री जगदीश।
29 सजना पत्नी द्वारका प्रसाद।
30 संज्या पुत्री द्वारका प्रसाद।
31 मनीष पुत्र द्वारका प्रसाद।
32 अशोक पुत्र द्वारका प्रसाद।
33 आशा पुत्री द्वारका प्रसाद।
34 सुनील पुत्र द्वारका प्रसाद।
35 कैलाशचन्द पुत्र नारायण।
36 पेपचन्द पुत्र रामदेव।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

37 प्रकाश पुत्र रामदेव।

38 मोहनलाल पुत्र रामदेव।

39 दीपचन्द पुत्र मालाराम।

40 गोपाल पुत्र मालाराम।

41 लक्ष्मण पुत्र मालाराम।

42 बद्रीप्रसाद पुत्र भूरा समस्त जाति बलाई निवासीगण छापर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

43 नापी देवी पुत्री भूरा पत्नी सोहनलाल जाति बलाई हाल निवासी लाबिया तन चिपलाटा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर हाल तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

44 रामोतार पुत्र प्रभात।

45 रूकमा देवी पत्नी दीपचन्द समस्त जाति बलाई निवासीगण छापर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

46 अनिता देवी पुत्री दीपचन्द पत्नी बीरबल।

47 सुनिता देवी पुत्री दीपचन्द पत्नी हेमराज।

48 पूमा देवी पुत्री दीपचन्द पत्नी लालचन्द समस्त जाति बलाई हाल बुजा की ढ़ाणी तन खिरोटी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

49 आकाश कुमार पुत्र दीपचन्द।

50 गौरीशंकर पुत्र छोटू।

51 मन्नी देवी पत्नी सागरमल उर्फ नागरमल समस्त जाति बलाई निवासीगण छापर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

52 मीना देवी पुत्री सागरमल उर्फ नागरमल पत्नी सुल्तानाराम जाति बलाई निवासी कोटड़ी तहसील खण्डेला जिला सीकर।

53 अन्नू वर्मा पुत्री सागरमल उर्फ नागरमल।

54 रमेश पुत्र सागरमल उर्फ नागरमल।

55 सपना वर्मा पुत्री सागमल उर्फ नागरमल।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

56 मनीष कुमार पुत्र सागरमल उर्फ नागरमल नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता मन्नी देवी।

57 बनवारीलाल पुत्र छोटू।

58 धोकल उर्फ दौलत पुत्र सोना फौत।

58/1 गोठी देवी पत्नी धोकल उर्फ दौलत।

58/2 मेवा देवी पुत्री धोकल उर्फ दौलत।

58/3 सरिता देवी पुत्री धोकल उर्फ दौलत समस्त जाति बलाई निवासीगण छापर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

59 श्रवणी देवी पुत्री गिरधारी पत्नी सीताराम जाति बलाई निवासी आगड़ी तन गणेश्वर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

60 भगवान सहाय पुत्र नाथुराम जाति बलाई।

61 बाबूलाल पुत्र बिड़दूराम निवासीगण छापर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

62 सब रजिस्टार नीमकाथाना जिला सीकर।

63 भूमिधारक जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।

64 चिरंजीलाल पुत्र प्रभात।

65 तीजा पुत्री सुल्तान।

66 श्रवणी पुत्री सुल्तान।

67 सन्ती पुत्री सुल्तान।

68 मूली पुत्री सुल्तान।

69 बाबूलाल पुत्र सुल्तान।

70 मोहनलाल पुत्र सुल्तान।

71 सायरमल पुत्र अर्जुन।

72 शीला देवी पत्नी अर्जुनराम।

73 ग्यारसी देवी पुत्री अर्जुनराम।

74 आंची देवी पुत्री अर्जुनराम।

75 कौशल्या देवी पुत्री अर्जुनराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

76 विमला पुत्री अर्जुनराम समस्त जाति बलाई निवासीगण छापर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट विरूद्व प्राथमिक
डिक्री दिनांक 09.07.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना जिला सीकर दावा संख्या 123/2015
बउनवानी हनुमान आदि बनाम मूला आदि वाद पत्र
बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सांवरमल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री राकेश कुमार, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

–निर्णय–

दिनांक:– 08.04.2022

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 123/2015 में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.07.2015 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 22.06.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों अपीलों में विवादित भूमि एवं पक्षकार एक समान होने से दोनो का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां पत्रावलियों में पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने भूमि खसरा नम्बर 453,454,494,495,496,606,607,608,688,434,448, 449,450,451,456 वाके ग्राम छापर तहसील नीमकाथाना के सन्दर्भ में विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील हुये बिना ही विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री पारित कर दी। इससे व्यथित होकर यह अलग–अलग अपीले धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट के नोटिस अदम तामील प्राप्त होने के उपरान्त वादीगण द्वारा पुन नोटिस प्रस्तुत ही नही किये गये है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना तामील पूर्ण किये बिना विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री पारित कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय में दौराने सुनवाई वादी संख्या 5 नारायण वादी संख्या 2 भागु प्रतिवादी संख्या 1 मुला प्रतिवादी सख्या 3 जगदीश प्रतिवादी संख्या 23 आकाश प्रतिवादी संख्या 39 मनकोरी का देहान्त हो चुका था। विचारण न्यायालय ने मृत पक्षकारों के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डी.एन.जे. 2022 (1) पेज 112, आर.आर.टी. 2022(1) पेज 338, आर.एल.डब्ल्यू 2002 पेज 479, आर.एल.डब्ल्यू 2003 (1) पेज 431, डी.एन.जें. 2021(2) पेज 876, आर.आर.टी. 2014 (2) पेज 1157, आर.आर.टी. 2009–10 पेज 485 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *
सत्यमेव जयते

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकील उपस्थिति रही है। विचारण न्यायालय में पक्षकारों द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय में तामील की सम्यक प्रकिया अपनाई गई है। अपीलांट द्वारा कथित पक्षकारों की मृत्यु की जानकारी विचारण न्यायालय की पत्रावली पर नही है। अपीलांट को यदि तामील से ऐतराज था तो अपीलांट को विचारण न्यायालय के समक्ष आदेश 9 नियम 13 के तहत चाराजोही करनी चाहिए थी। इसके अभाव में अपील के स्तर पर तामील के बिन्दु पर अपीलांट किसी प्रकार की सहायताा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। दिन प्रतिदिन की देरी का कारण अंकित नही किया गया है। अपील खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.एल.डब्ल्यू 2007 (2) आर.जे. पेज 1196 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट के नोटिस अदम तामील प्राप्त होने के उपरान्त वादीगण द्वारा पुन नोटिस प्रस्तुत ही नही किये गये है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की पालना किये बिना तामील पूर्ण किये बिना विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिकी पारित कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय में दौराने सुनवाई वादी संख्या 5 नारायण वादी संख्या 2 भागु प्रतिवादी संख्या 1 मुला प्रतिवादी सख्या 3 जगदीश प्रतिवादी संख्या 23 आकाश प्रतिवादी संख्या 39 मनकोरी का देहान्त हो चुका था। विचारण न्यायालय ने मृत पक्षकारों के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिकी जारी कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

प्रस्तुत प्रकरण में न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि मृत पक्षकारों के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेकर समस्त पक्षकारों की विधिवत तामील पूर्ण कर उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.04.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर